राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1848/2013/सीकर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स,
सम्भाग प्रथम, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ब्रह्मप्रकाश मोदी,
नीम का थाना, जिला सीकर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील ज़ई,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07/05/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व (जिसे आगे **"अपीलार्थी"** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 40/अपील्स–III/2012–13/ सीकर में पारित आदेश दिनांक 28.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, सम्भाग प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"सक्षम अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2001–2002 के लिये राजस्थान बिक्री कर नियम 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.04.2009 में आरोपित कर रूपये 69,44,131/–, सरचार्ज रूपये 10,41,620/– व कर मुक्ति प्रमाण पत्र हेतु विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने पर आरोपित विलम्ब शुल्क रूपये 23,500/– को अपास्त करते हुए आरोपित कर व सरचार्ज को अपास्त करते हुए पूर्व अपीलीय आदेश दिनांक 24.05.2007 में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं किये जाने पर प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किया है। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र ST-17 के समर्थन से रियायती कर दर पर डीजल की खरीद को अमान्य करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व सरचार्ज को अपास्त किया गया है।

07/05/18

लगातार.....2

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्ष 2001–02 के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी का कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.06.2004 को सम्पूरित किया गया था। आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन तथा मैसर्स इण्डियन ऑयल लिमिटेड से रूपये 17,57,658/– का माल– हाई स्पीड डीज़ल संविदा कार्य निष्पादन हेतु घोषणा पत्र एस.टी. 17 के माध्यम से 4 प्रतिशत कर चुकाकर रियायती दर पर खरीदा गया था। सक्षम अधिकारी ने इस खरीदे गये माल को नियमों में उल्लिखित प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं करना पाया जाने पर इस पर अन्तर कर रूपये 2,10,919/– तथा सरचार्ज रूपये 31,638/– भी आरोपित किया था। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से रूपये 5,78,67,762/– का कोलतार (Bitumen) की आपूर्ति जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को की गई जिसे भी सक्षम अधिकारी द्वारा कर योग्य बिक्री मानते हुए इस पर 12 प्रतिशत की दर से कर रूपये 69,44,131/– तथा इस पर सरचार्ज रूपये 10,41,620/– भी आरोपित किया। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा रिटर्न समय पर पेश नहीं करने के कारण रूपये 500/– की शास्ति भी आरोपित की गई थी तथा कर मुक्ति प्रमाण पत्र हेतु विलम्ब से आवेदन करने पर विलम्ब शुल्क रूपये 23,500/– भी आरोपित किया गया था।

3. सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसके निर्णय दिनांक 28.04.2009 द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था। तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन दिनांक 28.04.2009 को करते हुए पूर्व आदेश में आरोपित मुक्ति शुल्क तथा संशोधन पश्चात् निर्धारित सरचार्ज राशि का पुनः आरोपण कर दिया तथा साथ ही रियायती दर पर खरीदे गये डीज़ल पर भी अन्तर कर तथा सरचार्ज की राशि को यथावत रखते हुए कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से मंगाये गये कोलतार (Bitumen) की आपूर्ति जयपुर विकास प्राधिकरण को किये जाने पर इस बिक्री पर बिक्री कर व सरचार्ज का पुनः आरोपण किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर की गई जो अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.03.2013 को निर्णीत करते हुए प्रत्यर्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई तथा प्रकरण को निर्देशानुसार पुनः निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट में प्रयोग हेतु जो डीज़ल रियायती दर पर प्रत्यर्थी द्वारा खरीदा गया है

07/05/18

लगातार.....3

उस पर सक्षम अधिकारी ने करारोपण सही किया है क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रेक्टर एक विनिर्माता की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर से कोलतार (Bitumen) की खरीद की जाकर तथाकथित रूप से जयपुर विकास प्राधिकरण को की गई बिक्री के मुद्दे पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने को भी उन्होंने अनुचित बताते हुए अपीलीय आदेश अपास्त कर सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की।

5. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष मुख्यतः तीन बिन्दु विवादित थे, जिनमें संविदा कार्यों पर कर मुक्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर आरोपित विलम्ब शुल्क एवं इस बिन्दु पर प्रकरण देरी की पुनः गणना हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है; डीज़ल की रियायती दर पर खरीद कर इसे वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट सम्बन्धी कार्यों में प्रयोग लेने के बिन्दु पर अपील स्वीकार करते हुए आरोपित कर एवं सरचार्ज अपास्त किया गया है; तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में खरीदे गये कोलतार (Bitumen) की बिक्री जयपुर विकास प्राधिकरण को किये जाने के बिन्दु पर प्रकरण विस्तृत जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

7. जहां तक घोषणा पत्र Form ST-17 के समर्थन से रियायती दर पर डीज़ल खरीद कर इसे वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट सम्बन्धी कार्यों में प्रयोग किये जाने का प्रश्न है, इस बिन्दु पर स्वयं प्रत्यर्थी के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा Salex Tax Revision Petition No. 51/2004 निर्णय दिनांक 22.05.2013 में यह निर्णीत किया गया है कि सड़क निर्माण सम्बन्धी वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट में रोड़ी, कंक्रीट एवं सीमेन्ट का मिश्रण किया जाना 'प्रसंस्करण' (Processing) की श्रेणी में ही माना जायेगा तथा वर्क्स कॉन्ट्रेक्टर ऐसे कार्य हेतु Form ST-17 के समर्थन से रियायती दर पर डीज़ल खरीदने हेतु अधिकृत है। अतः इस न्यायिक निर्णय के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी द्वारा जो कर एवं सरचार्ज अपास्त किया गया है, वह पूर्ण विधिसम्मत होने से उसकी पुष्टि की जाती है।

8. जहां तक अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में खरीदे गये कोलतार (Bitumen) की तथाकथित बिक्री जयपुर विकास प्राधिकरण को किये जाने व इस पर आरोपित कर व सरचार्ज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती अपील

07/05/18

लगातार.....4

निर्णय दिनांक 28.04.2009 में दिये गये निर्देशों की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कोई जांच किये पुनः करारोपण कर दिया गया था जो कि अविधिक होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उल्लेखनीय है कि अपीलीय आदेश दिनांक 24.05.2007 द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये थे :–

> *"4. जहां तक राज्य के बाहर से की गई बिटुमैन की खरीद का प्रश्न है अपीलार्थी द्वारा राज्य के बाहर से खरीदी गई बिटुमैन का उपयोग संविदा कार्य में किया जाना प्रकट किया गया है कि जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिटुमैन जे.डी.ए. को सप्लाई किया जाना बताया गया है। अतः उक्त बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस बिन्दु पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी व जे.डी.ए. के मध्य कांट्रेक्ट की प्रतियों का अध्ययन करें व जे.डी.ए. से उक्त बाबत् जाँच भी करे तथा सामने आई स्थिति के अनुसार उक्त बिन्दु पर पुनः आदेश पारित करे।"*

10. उक्त अपीलीय आदेश की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा जो आदेश दिनांक 28.04.2009 को पारित किया गया है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश में यथानिर्दिष्ट कोई विशिष्ट जांच नहीं की गई तथा बिना किसी विशेष अभियुक्ति के पुनः करारोपण कर दिया गया है। उक्त कर निर्धारण आदेश के संदर्भित अंश निम्न प्रकार हैं :–

> *"व्यवहारी को अवार्डर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी किये गये एस.टी.28 के अनुसार व्यवहारी ने आलौच्य अवधि के दौरान राशि रू. 5,78,67,762.00 का कोलतार राज्य के बाहर से क्रय कर अवार्डर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को सप्लाई किया है जिसे कर योग्य मानते हुये आदेश दिनांक 14.06.04 में 12 प्रतिशत से कर राशि रू. 69,44,131.00 व इस पर सरचार्ज राशि रूपये 10,41,620.00 आरोपित किया गया था। व्यवसाई द्वारा इस बिन्दु पर प्रस्तुत जवाब से में सहमत नहीं हूँ। अतः पूर्व में आरोपित कर राशि 69,44,131.00 व सरचार्ज रू. 10,41,620.00 को यथावत रखा जाता है।"*

11. ऊपर संदर्भित अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं करते हुए पुनः करारोपण कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं होने के कारण हस्तगत अपीलीय आदेश में इसे पुनः प्रतिप्रेषित करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।

07/05/18

12. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। साथ ही सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि चूंकि उक्त प्रकरण वर्ष 2001–02 से सम्बन्धित है अतः अपीलीय आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना में विधिसम्मत कर निर्धारण आदेश इस आदेश की प्राप्ति के तीन माह के भीतर पारित करे।

13. निर्णय सुनाया गया।

07.05.2018
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

07/05/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य